

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 ( ) 2013/गोप्र/प्रमुवस/

दिनांक सितम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार निम्नांकित आशुलिपिको को निजी सहायक के पद पर वेतनमान 9300-34800 पे बेण्ड-2 ग्रेड दिनांक 30.6.13 तक 3600 (11) एवं 1.7.2013 से 4200 (12) में इनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नति प्रभावी करते हुये इनका पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन उनके नाम के समक्ष अंकित विवरण अनुसार किये जाने के आदेश प्रचलित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम निजी सहायक सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम	पदोन्नति जिस तिथि से प्रभावी होगी
1	लोकेश कुमार शर्मा	किशोरी लाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयो. एवं वन बन्दो.राज. जयपुर	मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर	01.04.2013
2	अब्दुल हनीफ	अब्दुल मजीद	उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा	मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा	01.04.2013
3	जुगल किशोर	नैनु राम	मुख्य वन संरक्षक (आर.वी.पी.)कोटा	मुख्य वन संरक्षक कोटा	01.04.2013
4	धर्मपाल यादव	गोपी चन्द यादव	वन संरक्षक सरिस्का (मुख्यालय) अलवर	मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, भरतपुर	01.04.2013
5	रघुनाथ सिंह सिसोदिया	कुर सिंह	उप वन संरक्षक बासंवाडा	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पी.एफ.एण्ड सी. राज0 जयपुर	01.04.2013
6	विद्या शंकर भट्टाचार्य	अमर नाथ	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी टोंक	मुख्य वन संरक्षक, ई. जी.एस. जयपुर	01.08.2013
7	प्रताप सिंह देवडा	सोहन सिंह	उप वन संरक्षक भीलवाडा	मुख्य वन संरक्षक, (आर.वी.पी.) कोटा	01.08.2013
8	अनिल कुमार वर्मा	हनुमान प्रसाद	उप वन संरक्षक अलवर	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	01.08.2013
9	लक्ष्मण सिंह	हरजीत सिंह	उप वन संरक्षक अजमेर	मुख्य वन संरक्षक अजमेर	01.08.2013
10	आशुतोष शर्मा	शिवराज शर्मा	कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर	01.08.2013
11	वृज किशोर आमेरिया	कैलाश नारायण	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई. जयपुर	मुख्य वन संरक्षक, ईको ट्यूरिज्म, जयपुर	01.08.2013
12	अशोक कुमार	किस्तूर चन्द	उप वन संरक्षक जयपुर (दक्षिण)	मुख्य वन संरक्षक सिल्वा जयपुर	01.08.2013
13	नानाशंकर पालीवाल	केशरीलाल	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	सरप्लस होने पर
14	महेश चन्द गुप्ता	श्रीचन्द गुप्ता	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, जयपुर	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, राज. जयपुर	सरप्लस होने पर
15	अजीत कुमार जैन	सूरजमल जैन	उप वन संरक्षक, उदयपुर उत्तर	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केम्पा, जयपुर	सरप्लस होने पर

१९

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर निम्नांकित आशुलिपिकों को रिव्यू एण्ड रिविजन के आधार पर निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया जिनका पदस्थापन निम्नानुसार अस्थाई (ADHOC) आधार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम निजी सहायक सर्व श्री	पिता का नाम सर्व श्री	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन
1	मुनीष कुमार जैन	सुमेर चन्द जैन	मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर	मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर
2	प्रदीप सिंह रावत	शिशुपाल सिंह	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दो, राज. जयपुर	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
3	श्रीमति कुन्ती मोरवानी	चन्द्र कुमार मोरवानी	मुख्य वन संरक्षक (प्लान) जयपुर	मुख्य वन संरक्षक (प्लान) जयपुर
4	पिताम्बर मंघानी	परसराम सुनार	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
5	परमानन्द कन्ना	किशन चन्द	प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर	मुख्य वन संरक्षक (एफ. सी.ए.) जयपुर
6	सुनील कुमार शर्मा	काशीराम	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयो. एवं वन बन्दो. राज. जयपुर	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एन.टी.एफ.पी, जयपुर
7	नरेश कुमार सिंघल	ईश्वरी प्रसाद	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परि. सरिस्का	मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय, जयपुर
8	सुधीर कुमार शर्मा	काशीराम	मुख्य वन संरक्षक एफ.टी.आई. जयपुर	मुख्य वन संरक्षक एफ.टी.आई. जयपुर

अस्थाई (ADHOC) आधार पर की गई पदोन्नति की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. उक्त पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक-अस्थाई आधार पर अद्रिप आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार, प्रदत्त किये, दी जा रही है।
  2. जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है, के पद से कभी भी पदावनति की जा सकती है।
  3. आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
  4. पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
  5. आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगा और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
  6. आवश्यक-अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
  7. इन तदर्थ पदोन्नति से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा।
- यदि उपरोक्त पदोन्नत लोक सेवक दिनांक 30.9.2013 तक निजी सहायक के पद पर हुए नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देगे तो उनकी पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

*हस्ता.*  
(यू.एम.सहाय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 ( )2013/गोप्र/प्रमुवस/4055-4106/६ दिनांक 18, सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हुतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज.जयपुर/टी.आर.ई.ई.राज.जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/  
संरक्षक (उत्पादन) राजस्थान, जयपुर/अरावली वृक्षारोपण परि. जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/विभागीय कार्य, जयपुर/वन्यजीव कोटा/आर.वी.पी.  
कोटा/कोटा/बीकानेर/ वन्यजीव भरतपुर/ एफ.टी.आई.जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त  
पदोन्नति आदेश विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
5. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परि. सरिस्का मुख्यालय अलवर।
6. उप वन संरक्षक बासवाडा/वन्यजीव कोटा/एस.आर.ओ.टोंक /भीलवाडा/ सरिस्का/  
अजमेर/ उदयपुर (उत्तर)/जयपुर (दक्षिण)/बीकानेर/ उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।
- 6.. श्री.....द्वारा..... को पालनार्थ ।
7. अध्यक्ष, स्टोनोंग्राफर संघ, जयपुर
8. रक्षी पत्रावली

(ए. वी. रामटेके)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक  
राजस्थान, जयपुर